न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 91 / 2022	2022 / 101	11.04.2022	23.05.2022

–उनवान–

1. ओमप्रकाश दत्तक पुत्र स्व0 श्रीमति मुथरी पत्नी स्व0 बहराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. लखमी चन्द पुत्र काशीराम जाति अहीर निवासी ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर।
3. उप पंजीयक कोटकासिम जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री मोहसिन खांन –वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमावत –वकील अप्रार्थी सं0 1

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान ओमप्रकाश बनाम लखमीचन्द वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण ओमप्रकाश बनाम लखमीचन्द वगै0 विचाराधीन है। प्रतिवादीगण आये दिन कोर्ट परिसर में व गांव में कहते फिरते है कि उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से सांठ–गांठ हो गयी है। वाद अप्रार्थी के विरूद्ध निर्णित करा लेंगे। प्रार्थी द्वारा असल अप्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आते–जाते देखा गया है। पीठासीन अधिकारी से मिलकर अप्रार्थी के विरूद्ध वाद को निर्णित करने की ऐलानिया धमकी दी गयी है। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा यह मेरा कार्यक्षेत्र है, मैं किसी के हक में फैसला करूं। मुझे रोकने वाला कौन है जो मेरी सेवा करेगा मैं उसी के हक में फैसला करूंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा अदालत परिसर में खुलेआम कहा गया कि वह उक्त वाद का निर्णय प्रतिवादी सं0 1 के हक में करेंगे। जिसका उल्लेख दिनांक 03.02.2022 की आदेशिका पर अंकित किया गया है कि "जवाब पेश नहीं करने पर आदेश 7 नियम 11 का प्रा0पत्र स्वीकार समझा जावेगा। जिससे बखूबी साबित है कि पीठासीन अधिकारी का रूझान प्रतिवादी सं0 1 की ओर है। पीठासीन अधिकारी पक्षकारान् की बिना बहस सुने वादी के वाद को आदेश 07 नियम 11 में जवाब पेश ना होने की सूरत में खारिज करने की मंशा बना चुके है। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी ने कहा कि हम गरीब आदमी है। सेवा चाकरी नहीं कर सकते। अप्रार्थी सं0 1 बाहूबली व राजनितिक पहूंच वाले शख्स है। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त वाद को अलवर क्षेत्र के किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थी को कोर्ट परिसर व गांव में कहते फिरते है कि उपखण्ड अधिकारी से सांठ–गांठ हो गयी है। कतई गलत है। पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी की कोई सांठ–गांठ नहीं है और प्रार्थी तारीख पेशी के दिन ही न्यायालय में उपस्थित होता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह नहीं कहा गया कि जो मेरी सेवा करेगा, मैं उसी के हक में फैसला करूंगा। अप्रार्थी द्वारा दिया गया प्रा.पत्र आदेश 7

जिला कलक्टर, अलवर

नियम 11 का जवाब प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.11.2016 से नहीं दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी ने जवाब पेश करने के लिए प्रार्थी को कहा गया लेकिन वाद खारिज करने की बात नहीं कही गयी। प्रार्थी का यह कहना कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के दबाव व प्रभाव में है, गलत है, स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कहे गये कथन असत्य, मनगढंत एवं अस्वीकार है। पत्रावली में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दिनांक 09.11.2016 को पेश किया गया। दिनांक 09.11.2016 से दिनांक 03.02.2022 तक प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 के जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। जिसके उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय को ध्यान में रखते हुए जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के मुताबिक प्रकरण की सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने मनगढंत व गलत आरोप लगाकर मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया गया है। फिर भी श्रीमान् उक्त प्रकरण को किसी भी न्यायालय में मुंतकिल करना चाहे तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट/टिप्पणी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी दिनांक 09.11.2016 को पेश किया गया। दिनांक 09.11.2016 से दिनांक 03.02.2022 तक प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 के जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर